सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस संख्या: 5892 / 1141 / 2016 दिनांकः– 20.01.2017

के मामले में:

श्री जंग बहादुर, D673
पुत्र – स्व. श्री राम,
क्वार्टर संख्या 10,
स्टाफ क्वार्टर केन्द्रीय विद्यालय संख्या 2,
वायु सेना स्थल हिंडान,
गाजियाबाद – 201004 (उत्तर प्रदेश) ..... शिकायतकर्ता

बनाम

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, D674
भारतीय जीवन बीमा निगम,
केन्द्रीय कार्यालय, 'योगक्षमा',
जीवन बीमा मार्ग,
मुम्बई–400021 ..... प्रतिवादी

सुनवाई की तारीखः 17.11.2016 एवं 05.01.2017

उपस्थितः

17.11.2016

1. श्री जंग बहादुर,शिकायतकता ।
2. श्री एल.सी. सेठी, अधिवक्ता, प्रतिवादी की ओर से ।

05.01.2017

1. शिकायतकता अनुपस्थित ।
2. श्री एल.सी. सेठी, अधिवक्ता, श्री अवधेश शर्मा,सहायक शाखा प्रबन्धक,भारतीय जवीन बीमा निगम,शाखा कार्यालय अयोध्या और श्री अरूण कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय जीवन बीमा निगम,के.जी.मार्ग, नई दिल्ली प्रतिवादी की ओर से ।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, श्री जंग बहादुर जोकि 50 प्रतिशत अस्थिबाधित व्यक्ति है, ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत प्रतिवादी के अयोध्या फैजाबाद शाखा संख्या 21 एल द्वारा 60,329 / – रूपए (20,000 रूपए की पालिसी) गबन करने से संबंधित शिकायत दिनांक 27.01.2016 इस न्यायालय में प्रस्तुत की।

....2 / –

2. शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने दिनांक 26.03.2004 व 29.03.2004 को 20,000 + 20,000 रूपए भारतीय जीवन बीमा शाखा संख्या 21 एल अयोध्या फैजाबाद में बीमा पालिसी के लिए जमा किया । 31.03.2004 को भारतीय जीवन बीमा ने चालीस हजार रूपए की पालिसी संख्या 214652286 जारी की परन्तु मूल पालिसी बांड अयोध्या फैजाबाद कार्यालय द्वारा प्रार्थी को नहीं दिया गया । काफी परेशानी के बाद बांड की फोटो कापी एजेन्ट द्वारा दिसम्बर, 2015 को प्राप्त हुई । दिनांक 20.03.2015 को पालिसी पूरा होने पर मात्र बीस हजार रूप्ए भुगतान करने का नोटिस दिया गया जिसमें पालिसी संख्या 214652286 — 40,000 रूप्रए बजाय पालिसी संख्या 214886855 — 20,000 रूपए लिखा था । अयोध्या फैजाबाद शाखा में सम्पर्क करने पर शाखा अधीक्षक ने पालिसी में सुधार करने के लिए दस हजार रूपए मांगे । शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि बांड की फोटो कापी से यह स्पष्ट है कि शाखा अधीक्षक द्वारा पालिसी रद्द किया गया और अपने किसी संबंधी गीता देवी के नाम बीस हजार रूपए का बांड जारी किया गया । शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि उसने पालिसी रद्दकरण के लिए किसी प्रकार का आवेदन नहीं दिया । शिकायतकर्ता ने उचित कार्यवाही कर चालीस हजार रूपए की पालिसी की परिपक्व राशि 1,20,658/— रूपए (60,329 + 60,329) ब्याज सहित दिलान का निवेदन किया है ।

3. मामला प्रतिवादी के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 20.05.2016 के द्वारा उठाया गया । इसके पश्चात् दिनांक 06.07.2016 को स्मरण—पत्र भी जारी किया गया ।

4. इसी बीच शिकायतकर्ता ने पत्र दिनांक 14.09.2016 के द्वारा अन्य बातों के साथ यह सूचित किया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के फैजाबाद कार्यालय और मुम्बई कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है । शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया है कि फैजाबाद कार्यालय के प्रबन्धक ने उन्हें अपमानित करके कार्यालय से बाहर निकाल दिया ।

5. प्रतिवादी को स्मरण—पत्र दिनांक 06.07.2016 भेजे जाने के उपरान्त भी उनकी ओर से मामले में टिप्पणी प्राप्त नहीं होने पर मामले की सुनवाई दिनांक 17.11.2016 को निर्धारित की गई ।

6. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता, 50 प्रतिशत अस्थिबाधित व्यक्ति ने प्रतिवादी के अयोध्या, फैजाबाद, शाखा संख्या 21 एल से 20,000 रूपये की दो जीवन बीमा पालिसी (कुल रूपये 40,000/—) दिनांक 26.03.2004 व 29.03.2004 लेने, दिनांक 20.03.2015 को

....3/—

पालिसी पूरी होने पर शाखा द्वारा केवल एक पालिसी की परिपक्व राशि रूपए 60329/– का भुगतान करने की सूचना देने और दूसरी पालिसी की परिपक्व राशि रूपये 60329/– गबन करने से सम्बन्धित शिकायतें दुहराई। शिकायतकर्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया कि दोनों पालिसी की परिपक्व राशि कुल रूपये 1,20,658/– (60,329/– + 60,329/–) ब्याज सहित चेक द्वारा दिलाया जाए।

7. प्रतिवादी पक्ष की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने जीवन बीमा पालिसी के परिपक्व राशि के भुगतान के मामले में शिकायतकर्ता के साथ हुई कठिनाइयों को स्वीकार किया तथा यह कहा कि शिकायतकर्ता ने अपनी दोनों जीवन बीमा पालिसी अलग–अलग तिथियों क्रमशः 26.03.2004 और 29.03.2004 पर लिए गए थे। इसी दौरान श्रीमती गीता नामक महिला को भी इसी तरह का जीवन बीमा पालिसी उतनी ही धनराशि का जारी किया गया था। बाद में श्रीमती गीता ने अपना जीवन बीमा पालिसी वापस कर दिया था जिससे गड़बड़ी उत्पन्न हो गई जिससे शिकायतकर्ता के पालिसी के भुगतान सम्बन्धित विचार करने में विलम्ब हुआ। इसके उपरान्त भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नया क्षेत्रीय कार्यालय फैजाबाद सृजन किए जाने और अयोध्या शाखा के अधिकार क्षेत्र को लखनऊ शाखा से हटाकर फैजाबाद शाखा में हस्तान्तरण सम्बन्धित कार्यों की अतिव्यस्ता में शिकायतकर्ता के पालिसी भुगतान हेतु विचार करने में और विलम्ब हुआ। अभी इस मामले में विचार किया जा रहा है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने मामले में सम्पूर्ण जानकारी न होने की अपनी बात रखतें हुए लिखित उत्तर प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय से कम से कम 60 दिन का समय देने का अनुरोध किया।

8.. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रतिवादी को निर्देश दिया गया कि मामले में अपना लिखित उत्तर प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई दिनांक 05.01..2017 को सुनिश्चित की गई ।

9. दिनांक 05.01.2017 को सुनवाई के दिन शिकायतकर्ता की ओर से सुनवाई में भाग लेने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही उन्होंने सुनवाई में भाग लेने के लिए अपनी असमर्थता के बारे में सूचित किया जबकि सुनवाई के लिए सूचना इस न्यायालय के कार्यवाहियों का अभिलेख स्पीड डाक से भेजा गया था ।

10. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता श्री एल.सी.सेठी ने प्रतिवादी का पत्र दिनांक 02.01.2017 प्रस्तुत किया ,जिसे अभिलेख पर लिया गया । इसके साथ ही

....4/–

उन्होंने एक चैक संख्या 366969 दिनांक 28.12.2016,एक्सैस बैंक लिमिटेड, फैजाबाद, रूपए 70,510.00 का जोकि शिकायतकर्ता के नाम में था, भी प्रस्तुत किया । उन्होंने यह भी निवेदन किया कि इस चैक की राशि के पश्चात् शिकायतकर्ता की पालिसी की परिपक्वता पर देय राशि का भुगतान ब्याज सहित करने के पश्चात् शिकायतकर्ता की शिकायत का समाधान हो गया है, इसलिए इस शिकायत को अब बन्द किया जाए ।

11. प्रतिवादी के प्रतिनिधि को सुनने तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् न्यायालय ने प्रतिवादी को निर्देश दिया कि उपरोक्त चैक को शिकायतकर्ता के पतें पर रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जाए और इसकी अनुपालना रिपोर्ट इस न्यायालय को आदेश की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर भेजी जाए ।

12. मामले का तदनुसार निपटारा किया गया ।

(कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त, निःशक्तजन